


25/9/24 पत्रावली देना है। बकाल उभयपक्ष अपनी प्राथमिक परेशानियों के संकेत से तत्काल उत्तर से है कि वडववाली प्रकृष्ट अर्पित विद्वान नामां सं० 531 ऑफ आरम काशी हिमा तहसील रामगढ़ पंचवट्टा दिनांक 14/6/24 का है। जिसमें कां० नैमते 8-10-24 निम्न है। उक्त में प्राथमिक रूप से सं० 1/आ० 2 को बिना सुचना दिए न किना विधिकरण सुनवाई का अपसर दिए बिना एम्बरफा में अर्पित करने की सुनवाई को आकर दिनांक 2/9/24 को आराजक वरद गस्त के कार्ड व मोने को प्रशासित - प्रगति रखने का हथगत आदेश श्रीमंत काम पारित करमाया गया है। जबकि उक्त आराजक से अर्पित का कोई प्रत्यक्ष सांकेतिक नहीं है। नाही उक्त को ई हक आदिमा है। प्राथमिक रूप से सं० 1/आ० 02 दिनांक 02-9-2024 को जारी हथगत आदेश से प्रभावित व पीडित है। तथा प्रकृष्ट में कां० नैमते 9-10-24 प्रकृष्ट निम्न को बाई है। जिससे प्राथमिक के हर हक प्रभावित हो रहे हैं। प्राथमिक पर के अक्षमोक्त कने। बकाल आधिकारिकता की वरद पर गेरा। मगर कने से प्राथमिक पर श्रीमंत सुनवाई आरम ही में रखी जाए बिना जाता है। प्राथमिक पर के प्रत्यक्ष होकर सुनवाई माल हवापट्टी रहे। माल प्रकृष्ट कने प्रकृष्ट वरद देव दिनांक 27/9/24 को देया है।

  
 अतिरिक्त जलवद  
 लालबाग (नासा)